मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२०

श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२०

विषय-सूची.

खण्ड :

भाग—एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

भाग—दो

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.

३. धारा २ का संशोधन.

भाग—तीन

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का संशोधन.

५. धारा १ का संशोधन.

६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२०

श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, १९४८ और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२० है.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग—दो

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम में, धारा २ में, खण्ड (ड) में,—

(एक) उप-खण्ड (एक) में, शब्द "दस या उससे अधिक" के स्थान पर, शब्द "पचास या उससे अधिक" स्थापित किए जाएं;

(दो) उप-खण्ड (दो) का लोप किया जाए.

भाग—तीन

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम में, धारा १ में, उपधारा (४) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द ''बीस या उससे अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास या उससे अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''बीस या उससे अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास या उससे अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) परन्तुक में, शब्द ''बीस से कम कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास से कम कर्मकार'' स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

६. (१) मध्यप्रदेश श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ८ सन् २०२०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात समझी जाएगी.

उद्देश्यों के कारणों का कथन

यह विधेयक कतिपय श्रम विधियों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से संशोधन करने के लिए प्रस्तावित है. कॉविड-१९ महामारी ने मध्यप्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है. उद्योग और वाणिज्य को बड़ा आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है तथा लाखों कर्मकार रोजगार विहीन हो गए हैं.

२. कारखाना अधिनियम, १९४८ ऐसी विनिर्माण संक्रियाओं को लागू होता है जिसमें धारा २ के खण्ड (ड) के उपखण्ड (एक) के अनुसार परिसर में ऊर्जा का उपयोग करते हुए १० या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं और ऐसी विनिर्माण संक्रियाओं को भी लागू हैं जिनमें धारा २ के खण्ड (ड) के उपखण्ड (दो) के अनुसार परिसर में बिना ऊर्जा का उपयोग किए २० या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं.

३. अब मध्यप्रदेश राज्य में धारा २ के खण्ड (ड) के उपखण्ड (एक) के अधीन नियोजित कर्मकारों की संख्याओं ''१० या अधिक'' से बढ़ाकर ''५० या अधिक'' किया जाए तथा धारा २ के खण्ड (ड) के उपखण्ड (दो) को विलोपित करना प्रस्तावित है जिससे अधिनियम की परिधि से ऐसे सूक्ष्म तथा लघु कारखानों को छूट दी जाए जिससे वे उद्योग आसानी से काम कर सकें तथा अधिक कर्मकारों को नियोजन उपलब्ध करा सकें.

४. वर्तमान में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० ऐसी स्थापनाओं पर लागू है जहां अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अनुसार २० या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं और ऐसे ठेकेदार को जो पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिवस को २० या उससे अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं.

५. मध्यप्रदेश राज्य, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० में कर्मकारों की संख्या को ''२० या अधिक'' से ''५० या अधिक'' तक बढ़ाने के लिये राज्य संशोधन प्रस्तावित कर रहा है. यह संशोधन ऐसे छोटे तथा मध्यम वर्ग की स्थापनाओं को जो ५० से कम कर्मकार नियोजित करते हैं की इस अधिनियम के उपबंधों और प्रक्रियाओं से छूट देगा. यह संशोधन छोटे तथा मध्यम वर्ग की स्थापनाओं को ठेकेदारों और कर्मकारों को सहायता देने में समर्थ होगा.

६. यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि भारत सरकार भी उक्त दोनों अधिनियमों को लागू करने के लिए कर्मकारों की संख्या में वृद्धि प्रस्तावित कर रही है और आंध्रप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों ने पूर्व में इस आशय के संशोधन कर लिये हैं.

७. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ८ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब, उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

८. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ११ सितम्बर, २०२०.

ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न हुई कठिनाईयों के कारण मध्यप्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे बेरोजगारी की समस्या में भी अधिकाधिक वृद्धि हुई है. उक्त कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियमों कारखाना अधिनियम, १९४८ तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ८ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) एवं ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) से उद्धरण.

१. कारखाना अधिनियम, १९४८

धारा २ * * * * *

(ड) "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें--

(i) दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है, या

(ii) बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है, या आमतौर से ऐसे की जाती है,

किन्तु कोई खान जो [खान अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ३५)] के प्रवर्तन के अध्यधीन है, या (संघ के सशस्त्र बल की चलती-फिरती यूनिट, रेलवे रनिंग शेड या होटल, उपाहार गृह या भोजनालय) इसके अंतर्गत नहीं है:

(**स्पष्टीकरण १**) इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों की संख्या की संगणना करने के लिए दिन की (विभिन्न समूहों और टोलियों) के सभी कर्मकारों को गिना जाएगा.

(**स्पष्टीकरण २**) इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए केवल इस तथ्य का कि किसी परिसर या उसके भाग में कोई इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन यूनिट या कोई संगणक यूनिट संस्थापित की गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कारखाना हो गया यदि ऐसे परिसर या उसके भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है.)

२. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७०

धारा १ * * * * *

(४) (क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है जिसमें बीस या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है जो बीस या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे:

परन्तु समुचित सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी स्थापन या ठेकेदार को लागू कर सकेगी जो बीस से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.